

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :-

अधिसूचना संख्या08...../भू अ०

दिनांक : 01/01/18

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम—गोरसिंहा, थाना—देवघर, थाना सं०— 671, अंचल—मोहनपुर, जिला—देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना देवघर—बाईपास (रिंग रोड) पथ निर्माण परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम—गोरसिंहा, थाना—देवघर, थाना सं०—671, अंचल—मोहनपुर, जिला—देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 1.19 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है—

क. सं.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	22	रैयती		0.01	चन्दावती देवी पे० स्व० अन्तु महतो	अर्जित दाग का अंश	मौजा नं० सिरसा , 672	बारा	मौजा नं० सिरसा 672
2	2	23	रैयती		0.07	वो अनुप महतो वो महरू महतो वो				
3	2	44	रैयती		0.15	दिलीप महतो माता स्व० हुरो देवी वो				
4	2	45	रैयती		0.09	पलटू महतो वो डमरू महतो माता				
5	2	46	रैयती	धानी-3	0.01	स्व० रूदो देवी वो पूर्णा देवी पति				
6	2	47	रैयती	धानी-2	0.08	स्व० सहदेव महतो वो सुकदेव महतो				
7	2	48	रैयती	धानी-2	0.10	पे० स्व० जीवो महतो 1/2 वो कंचना				
8	2	49	रैयती	धानी-2	0.11	देवी पति नुनमेन महतो वो रामदेव				
9	2	50	रैयती	धानी-2	0.05	महतो पे० स्व० अमृत महतो वो				
10	3	21	रैयती	धानी-3	0.02	जितनी देव्या पति चुटकु महतो वो				
11	3	41	रैयती	धानी-3	0.10	बालेश्वर महतो वो भरन महतो वो				
12	4	43	रैयती	धानी-3	0.05	दासो महतो पे० स्व० गोविन्द महतो				
13	4	42	रैयती	धानी-3	0.07	1/2				
14	4	39	रैयती		0.09	उपेन्द्र चौधरी वो फूलेश्वरी उर्फ फुलो				
15	4	40	रैयती		0.01	देवी पे० स्व० सहदेव चौधरी वो				
16	7	38	रैयती	धानी-3	0.18	सविता देवी पति स्व० भुनेश्वर चौधरी				
						वो चमेली देवी पति स्व० पृथ्वी चौधरी				
						वो सर्वेश्वर चौधरी पे० स्व० श्री नन्दन				
						चौधरी।				
						कौशिल्या देवी पति स्व० पिताम्बर				
						चौधरी वो मुरारी चौधरी पे० राज				
						कुमार चौधरी।				
						नन्द किशोर चौधरी पे० स्व० जगदीश				
						चौधरी वो कामदेव चौधरी वो बलदेव				
						चौधरी पे० स्व० विशम्बर चौधरी वो				
						हलधर चौधरी वो विपीन चौधरी वो				
						बबलू चौधरी पे० स्व० रुद्रदेव चौधरी।				
कुल रकवा—					1.19					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।


भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता—सह—समुचित सरकार उक्त

E:\2015 L.A (B.K.)\All Project for Road\Ring Road\Notification\2nd time\Gorsingha.docx

३

अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 08 / भू अ0, देवघर, दिनांक 01/01/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मोहनपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।



समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।